संख्या: / 77 (1)/18(1)/2006

प्रेषक,

सोहन लाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 6 जनवरी, 2006

विषय-तहसील श्रीनगर के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-197/18(1)/2005 दिनांक 3-12-2005 के प्रस्तर-8 में त्रुटिवश लेखाशीर्षक -4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-03-तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण-00-24-वृहद निर्माण कार्य अंकित हो गया है, जो वास्तव में लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-आयोजनागत-051-निर्माण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-तहसीलों के अनावासीय भवनों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य होना चाहिये।

2- अतः उक्त शासनादेश संख्या-197/18(1)/2005 दिनांक 2-12-2005 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 3-12-2005 की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-12/वि0अनु0-5/2006 दिनांक 2 जनवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक

.........(2)

प्रतिलिपि [illegible] प्रेषित:

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2- कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3- जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4- अपर सचिव, वित्त व्यय अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
5- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
6- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल।
7- परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०राजकीय निर्माण निगम, इकाई, श्रीनगर गढ़वाल।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।